वित्तीय क्षेत्र की रणनीति के परिप्रेक्ष्य *

सुबीर गोकर्ण

मैं अपने-अपने क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं के अवसरों एवं उसकी चुनौतियों पर चर्चा आयोजित करने के लिए एशिया-यूरोप बिजनेस फोरम की इस पहल का स्वागत करता हूँ। वस्तुतः उन्नत अथवा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय क्षेत्र के विनियमन एवं विकास पर आज सभी उल्लेखनीय बहसें संकट तथा उसमें वित्तीय क्षेत्र की भूमिका के संदर्भ में की जाती हैं। तथापि, इस बहस में बहुत बड़ी असममिति है, जो स्पष्ट तौर पर, उदाहरणार्थ, जी-20 की प्रक्रिया में संकटोत्तर वित्तीय विनियामक रणनीतियों पर होने वाली चर्चाओं से स्पष्ट है। अब यह काफी स्पष्ट हो चुका है कि विभिन्न देशों के बीच विनियामक ढांचे में मौजूद अंतर ने संकट में राष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्रों की भूमिका तथा, बदले में, स्वयं वित्तीय क्षेत्रों पर संकट के प्रभाव दोनों के रूप में काफी अलग परिणामों में अंशदान किया है। इसके फलस्वरूप जी-20 की प्रक्रिया के भीतर संकट के प्रति ''सभी के लिए उपयुक्त एक आकार'' संबंधी विनियामक अनुक्रिया संबंधी चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। तथापि, अधिक रचनात्मक तौर पर वित्तीय प्रणालियों एवं अर्थव्यवस्थाओं दोनों को मिलाकर वैश्विक समन्वयन बढ़ाने में विनियमन के क्षेत्र में वैश्विक समन्वयन की जरूरत सहित विकास की प्रक्रिया में वित्तीय क्षेत्र की भूमिका को संतुलित करने के बारे में एक सामूहिक राय उभरने में भी इसका अंशदान है। इस माह के आरंभ में ग्वांगजू, कोरिया, में जी-20 के वित्तीय उपाध्यक्षों की हाल की बैठक के पूर्वरंग के रूप में सिओल में आयोजित संगोष्ठी का विषय था - 'उभरते बाजार परिप्रेक्ष्य'। मुझे यकीन है कि उन्नत और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक सार्थक वार्तालाप बनाए रखने के लिए इस परिप्रेक्ष्य से महत्वपूर्ण आधार मिलता है तथा यह मंच इसका एक उदाहरण है।

इस संक्षिप्त मुख्य भाषण में मैं उन व्यापक सिद्धांतों के बारे में कुछ विचार सामने रखना चाहूंगा, जो वित्तीय क्षेत्र के विकास संबंधी हमारी सोच का मार्गदर्शन करते

* बेल्जियम के दूतावास और भारत में आए यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधिमंडल के आयोजन में 'भारत और यूरोप में वित्तीय सेवाओं के लिए अवसरों एवं चुनौतियों पर गठित उच्चस्तरीय पैनल' विषय पर 20 सितंबर 2010 को डॉ. सूबीर गोकर्ण, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रस्तुत मुख्य भाषण। इस भाषण को तैयार करने में श्री बी. एम. मिश्रा, श्रीमती पल्लवी चव्हाण, कु. राखी पी.बी. के अंशदान को साभार स्वीकार किया जाता है।

हैं तथा जिन्होंने 'उभरते बाजार परिप्रेक्ष्य' संबंधी हमारे अंशदान को निरूपित किया है, जिसका हवाला में पहले दे चुका हूँ। इससे पहले मैं दक्षता, स्थिरता, पारदर्शिता और समावेशन नामक चार मूल सिद्धांतों का उल्लेख कर चुका हूँ। एक प्रभावी रणनीति के लिए पहले इन चारों सिद्धांतों के बीच की अनुपूरकताओं का दोहन करके तथा उसके बाद, तालमेल की पहचान करके और जहां-कहीं ऐसी स्थिति हो, उद्देश्यों के बीच प्राथमिकताएं तय करके इन चारों सिद्धांतों में निहित उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। मैं प्रत्येक उद्देश्य द्वारा प्रस्तुत किए गए 'अवसरों' और 'चुनौतियों' को स्पष्ट करना चाहूंगा।

जहां तक दक्षता का प्रश्न है, इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि वित्तीय प्रणाली द्वारा तीव्र गति से वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की व्यापक हो रही एवं बढ़ रही जटिल अपेक्षाएं पूरी किए जाने की ज़रूरत है; इसके अलावा, ऐसा यथासंभव कम खर्चीले तरीके से किया जाना है। गति की ज़रूरत को देखते हुए, इसके लिए कई कारकों को लाया जा सकता है। गुरुतर प्रतिस्पर्धा के साथ नई क्षमता इस उद्देश्य को पाने का एक स्पष्ट तरीका है। उदाहरण के लिए, नये बाज़ारों एवं नये उत्पादों का विकास करके विनिर्दिष्ट ज़रूरतों का समाधान करना एक नया उपाय है। तथापि, यह मानना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय प्रणाली की दक्षता को अलग से नहीं देखा जा सकता। अर्थव्यवस्था के विकास और वित्तीय प्रणाली की क्षमता एवं योग्यता के बीच ठोस संबंध अवश्य होना चाहिए।

स्पष्टतः, जब हम क्षमता एवं योग्यता दोनों में तीव्र वृद्धि के बारे में सोचते हैं, तो विदेशी संस्थाओं की भूमिका के बारे में पूंजी एवं जानकारी दोनों को सामने लाने की उनकी योग्यता के संदर्भ में विचार किए जाने की ज़रूरत है। तथापि, गुरुतर विदेशी सहभागिता से मिलने वाले लाभों का संतुलन जोखिम बढ़ाने की उनकी संभाव्यता से किया जाना चाहिए। यह हमें सीधे स्थिरता नामक दूसरे सिद्धांत की ओर लाता है। वित्तीय स्थिरता हमेशा, व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप में, सरकार एवं केंद्रीय बैंक दोनों का उद्देश्य रहा है तथा 2008 के संकट की अनुक्रिया में यह काफी स्पष्ट रूप में दिखाई दिया था। तब से जो बात व्यक्त की तुलना में शायद अधिक अव्यक्त थी, उसे भारत सहित कई देशों में औपचारिक एवं सांस्थानिक बनाया जाना है। प्रणालीगत जोखिमों को पूर्वक्रीत करने एवं उनसे निपटने दोनों के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं की ज़रूरत है एवं उन्हें साकार रूप दिए जाने के बारे में गंभीर बहस जारी है। उभर रहे व्यापक बाज़ार के परिप्रेक्ष्य से, यह बात अधिक महत्वपूर्ण है कि बड़ी विदेशी संस्थाओं की अधिक मौजूदगी किस तरह प्रणालीगत जोखिम में अंशदान करती है क्योंकि विनियामक एवं विवेकपूर्ण रणनीतियों की अभिकल्पना संकट के बाद के माहौल में की जाती है। बाहर उत्पन्न होने वाले उन आघातों के प्रति, जिनके संचारण पर हमारा कुछ नहीं या बहुत कम नियंत्रण है, अपनी प्रणालियों को सुभेद्य बनाए बिना उनके द्वारा व्यापक विकासात्मक उद्देश्य के संबंध में प्रस्तावित लाभों का दोहन हम किस तरह कर सकते हैं? ऐसे स्वामित्व, शासन एवं विवेकपूर्ण मानदंडों के बीच संतुलन बनाए रखे जाने की ज़रूरत है, जिनसे प्रणालीगत सुरक्षा एवं वाणिज्यिक अर्थक्षमता संबंधी उचित अपेक्षाएं पूरी होती हों, जो इन संस्थाओं को कारोबार बढ़ाने एवं स्थापित करने लायक बना देगा।

मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि स्थिरता का सिद्धांत अनन्य रूप से विदेशी उपस्थिति तक सीमित नहीं है। प्रणालीगत जोखिमें देशी वित्तीय संस्थाओं में भी उत्पन्न हो सकती हैं। एक कारगर सुरक्षा तंत्र द्वारा ऐसी जोखिमों के सभी संभावित स्रोतों की पहचान की जानी चाहिए और उपयुक्त उपाय किए जाने चाहिए।

वैश्विक रूप से समन्वित हो रही वित्तीय प्रणाली के लिए पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण अपेक्षा है। रिपोर्टिंग मानदंडों को मानकीकृत एवं समन्वित किए जाने से वैश्विक तुलनीयता में मदद मिलती है जिससे, बदले में राष्ट्रीय विनियामकों को उनकी प्रणालियों की सुभेद्यताओं की पहचान करने तथा संकट के फैलाव को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने में मदद मिलेगी। तथापि, जहां यह एक वांछनीय उद्देश्य है, वहीं अभिसरण की प्रक्रिया स्वतः संसाधन एवं जानकारी-प्रधान है। सीमापार की तुलनीयता एक समस्या बनी रहेगी क्योंकि विभिन्न देश क्रमिक रूप से वैश्विक मानकों की ओर अभिसरित होते हैं। ऐसा घटित होने के बाद भी, जानकारी का पूर्ण प्रसार करने संबंधी तंत्र को स्थापित एवं सुदृढ़ किए जाने की ज़रूरत है, ताकि तुलनीयता का पूरा लाभ उठाया जा सके।

अंततः, समावेशन के मुद्दे पर यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा उद्देश्य है जो विकास की व्यापक कार्यसूची के मूल में हैं। जो लोग व्यवस्था के भीतर कार्यरत हैं, उनके लिए भी इस चुनौती के पैमाने मात्र का आकलन कर पाना आसान नहीं है। यह सिर्फ संख्या का प्रश्न नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि समृद्धि के स्तर, आर्थिक संरचना तथा जीविका के साधन के रूप में काफी अलग-अलग स्थानीय पर्यावरण में रहने वाले करोड़ों लोगों को वित्तीय सुविधा तक पहुंच प्रदान किया जाए - यहां नैसर्गिक तथा मानव निर्मित दोनों स्रोतों से तथा बुनियादी ढांचा संबंधी स्थितियों से जोखिम उत्पन्न होती है। इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय क्षेत्र तथा संगठनात्मक योग्यता की गहरी समझ हो ताकि प्रत्येक क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं संबंधी अपेक्षाएं पूरी करने के लिए कम खर्चीले तरीके ढूंढ़े जा सकें।

निःसंदेह, ऐसे कुछ सार्वभौमिक अथवा अनुकरणीय घटक हैं, जो या तो पहले से सक्रिय हैं अथवा शीघ्र ही सक्रिय हो जाएंगे। दूरसंचार नेटवर्क द्वारा किये गए संतृप्ति कवरेज से कम खर्चीले वायरलेस दस्ती डिवाइसों का उपयोग बैंक शाखा की वास्तविक भूमिका निभाने के लिए किए जा सकता है, जिससे विस्तार की लागत में काफी कमी आ सकती है। विशिष्ट पहचान संख्या शुरू होने पर केवाइसी प्रकिया की दक्षता में काफी सुधार होगा तथा इससे अलग-अलग बैंकों के नेटवर्क के बीच पूर्ण गतिशीलता मिल सकेगी। परंतु चुनौती के समग्र परिमाण तथा इसकी क्षेत्रीय विविधता को देखते हुए, अलग-अलग सहभागियों की भूमिका का उचित रूप से आकलन करना तथा उनके कार्यकलापों के बीच समन्वयन करना काफी महत्वपूर्ण होगा। यह सब करते समय मितव्ययिता, वाणिज्यिक अर्थक्षमता तथा, निःसंदेह, वित्तीय स्थिरता संबंधी किसी भी रणनीति के प्रभाव को पूरी तरह से ध्यान में रखना होगा। संक्षेप में, आर्थिक विकास के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप हमारे वित्तीय क्षेत्र का सुदृढ़ विकास करने के लिए इन चार सिद्धांतों के बीच संतुलन लाने की जरूरत है। इसके लिए अनुपूरकताओं का दोहन करने तथा पारस्परिक तालमेल का प्रबंधन करने की जरूरत है। मैं कार्यकलाप के उन तीन वर्तमान क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा, जो इस समग्र दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करेंगे।

पहला, नये बैंकिंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, प्रमुख मुद्दों तथा स्वामित्व एवं पूंजी मानदंडों को व्यक्त करने के साथ, शुरू हो चुकी है। सार्वजनिक बहस तथा परामर्श की प्रक्रिया अब जारी है। दूसरा, बांड बाजार के विकास के शेष अवरोधों पर समन्वित कार्रवाई करने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण उत्प्रेरक बात बुनियादी ढांचा संबंधी व्यय में तीव्र वृद्धि तथा यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि वित्तीय अवरोधों से इसमें रुकावट न आने पाए। तीसरा, वास्तविक वित्तीय समावेशन योजनाएं तैयार करने के

उद्देश्य से अलग-अलग बैंकों के साथ परामर्श की प्रक्रिया जारी है।

मैं उन तीन संतुलनकारी कार्यों पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, जिन्हें वित्तीय क्षेत्र के विकास संबंधी हमारी रणनीति में शामिल किये जाने की जरूरत है:

1. वित्तीय क्षेत्र की वृद्धि के चालकों तथा बृहत्तर वृद्धि एवं विकास संबंधी कार्यसूची की अपेक्षाओं के बीच,
2. गुरुतर वैश्विक समन्वयन के लाभ तथा जोखिमों के बीच,
3. पैमाने के फायदों तथा विभिन्नता की बाध्यताओं के बीच।

मेरा विश्वास है कि आगे होने वाली चर्चाओं में ये विचार उपयोगी साबित होंगे। मुझे आपके सामने अपनी बात रखने का अवसर देने के लिए मैं इस पैनल के आयोजकों का आभारी हूं।